UPAZ010024382026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़।

उपस्थितः कमला पति-I, एच०जे०एस० (प्रभारी सत्र न्यायाधीश)

(JO CODE- UP 6168)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1032/2026

प्रमोद कुमार गौड़ उम्र लगभग 45 साल पुत्र देवीचरन गौड़, निवासी सदरपुर बरौली, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़। .....**आवेदक/अभियुक्त।**

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार .....**विपक्षी/अभियोगी।**

दिनांक-23.03.2026

1- प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. आवेदक/ अभियुक्त **प्रमोद कुमार गौड़** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-**55/2026** अन्तर्गत धारा- **319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी.एन.एस., 12(1)B पासपोर्ट अधिनियम** थाना **फूलपुर**, जनपद **आजमगढ़** के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना सहित प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त कारागार में निरुद्ध है।

2- जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में मीरा गौड़ द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम जमानत प्रार्थना में वर्णित समस्त बातें उसकी निजी जानकारी में सही व सच हैं। इसके अतिरिक्त कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय या मा० उच्च न्यायालय में लंबित नहीं है।

3- **संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि** वादी मुकदमा उ.नि. श्री दयानन्द द्वारा थाना स्थानीय पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि वरिष्ठ अधीक्षक (पलिसी) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या:-पाका/लख/ पलिसी/2025/पासपोर्ट सं0 -R8236695, C6288024 दिनांकित 15.01.2026 के माध्यम से प्रमोद कुमार गौर पुत्र देवीचरन गौर पता सद्रपुर बरौली थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा कूटरचित दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, वोटर कार्ड इत्यादि के साथ अपने व्यक्तिगत विवरण (नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम, जन्मतिथि व पता) में परिवर्तन करने के पश्चात एक से अधिक पासपोर्ट बनवाये जाने के सम्बन्ध में जाँच कर पासपोर्ट धारक के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से उक्त कार्यालय को अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी। जांचोपरान्त मय जांच आख्या व उच्चाधिकारी के आदेश पेशी पैड थाना कार्यालय से प्राप्त हुआ जिसका अवलोकन व जांच से पाया गया कि पासपोर्ट धारक प्रमोद कुमार गौर पुत्र देवी चरन गौर निवासी ग्राम सदरपुर बरौली थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा जन्मतिथि 30.04.1978 व नाम परमोद कुमार गौर पुत्र देवीचरन गौड निवासी सदरपुर बरौली थाना फूलपुर आजमगढ दर्शाते हुए प्रथम पासपोर्ट वर्ष 2007 से 2017 तक जारी कराया गया था जो वर्ष 2017 में समाप्त होने उपरान्त दिनांक 14-08-2017 को पासपोर्ट नं0-R8236695 दिनांक 14.08.2017 से 13-08-2027 तक रिन्युवल कराया गया तथा पुनः प्रमोद कुमार गौर द्वारा आधार कार्ड के अनुसार अपनी जन्मतिथि 01.04.1988 व नाम प्रमोद कुमार गौर

Digitally signed by KAMALA PATI PAL
Date: 2026.03.23 16:19:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दर्शाते हुए पासपोर्ट के लिए आवेदन किया गया जो दिनांक 13.01.2025 को पासपोर्ट नं. C6288024 पर दिनांक 13.01.2025 से 12.01.2035 तक जारी कराया गया है। इस प्रकार आवेदक द्वारा पूर्व में जारी पासपोर्ट को छुपाकर तथा व्यक्तिगत विवरण जैसे की अपना नाम, जन्मतिथि बदलकर दूसरा पासपोर्ट बनवाया गया है।

4- आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक निर्दोष है। पुलिस ने राजनीतिक विरोधियों के प्रभाव व षड्यन्त्र में होकर झूठी रिपोर्ट तैयार कर प्रश्नगत अभियोग झूठा पंजीकृत करवाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में समाहित तथ्य के परिशीलन से प्रथम दृष्टया प्रकट है कि कथित पासपोर्ट को अभियोग पंजीकृत होने की तिथि तक पासपोर्ट धारक द्वारा व्यक्तिगत लाभ हेतु न तो कहीं प्रयुक्त किया जाना कहा गया है और न ही उक्त तथाकथित कूटरचित पासपोर्ट के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा किसी संस्था को कोई आर्थिक अथवा मूल्यवान क्षति कारित होने या करने का कथन किया गया है। उक्त के अभाव में धारा 340(2), 338 एवं 336 (3) बी.एन.एस. व अन्य धाराओं के अधीन अपराध प्रथम दृष्ट्या गठित (Constitute) नहीं होता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में समाहित तथ्यों के आधार पर अधिकतम पासपोर्ट अधिनियम के अधीन अपराध गठित होता है जिसमें अधिकतम 5 वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड का प्राविधान है और प्रथम श्रेणी मजि० द्वारा परीक्षणीय है। अतएव मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सत्येन्द्र कुमार अन्टिल में की गई अवधारणा की परिधि में जमानत स्वीकार किये जाने की श्रेणी में आता है। आवेदक का कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं है, आवेदक द्वारा किसी प्रकार कूटरचना करके बेइमानी पूर्ण आशय से किसी कूटरचित प्रलेख को सही प्रलेख के रूप में कहीं प्रयुक्त धनार्जन नहीं किया गया है। आवेदक विवेचना में पूर्ण सहयोग करना चाहता है, परन्तु सम्बंधित थाना की पुलिस विरोधियों के प्रभाव में होकर आवेदक को गिरफ्तार कर लिये है। आवेदक जमानत पर अवमुक्त होने की अवधि में जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। आवेदक दिनांक 08.03.2026 से जनपद कारागार आजमगढ़ में निरूद्ध है। अतः उपरोक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

5- विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है। अभियुक्त द्वारा पहला पासपोर्ट होते हुए भी अपने नाम, जन्मतिथि में कूटरचना के जरिये परिवर्तन कर दूसरा पासपोर्ट बनवाया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित कृत्य गंभीर प्रकृति का अपराध है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि मात्र आपराधिक इतिहास न होने से अपराध की गंभीरता कम नहीं हो जाती। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों/पत्रावली का परिशीलन किया।

6- प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथनानुसार अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त पर यह आरोप लगाया गया है कि उसके द्वारा अपने नाम, जन्मतिथि में परिवर्तन कर दो पासपोर्ट बनवाये गये, जबकि इस संबंध में बचाव पक्ष द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त का दूसरा पासपोर्ट जानकारी के अभाव में निर्गत हुआ है। अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से पाया जाता है कि अभियुक्त द्वारा अपने नाम में कोई विशेष भिन्नता नहीं की गयी, बल्कि मात्र परमोद के स्थान पर प्रमोद हुआ है, जो लिपिकीय भिन्नता है। अभियुक्त द्वारा तथाकथित पासपोर्ट द्वारा न तो कोई यात्रा की गयी है, न ही कोई लाभ प्राप्त किया गया है और न ही किसी

संस्था को मूल्यवान क्षति कारित की गयी है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 08.03.2026 से कारागार में निरूद्ध है। प्रकरण के विचारण में समय लगना संभाव्य है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। इस स्तर पर ऐसा कोई तथ्य विद्यमान नहीं है जिससे यह पाया जाता हो कि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने से उसके द्वारा जमानत का दुरूपयोग किया जायेगा अथवा अभियोजन साक्षियों को प्रभावित किया जायेगा। अतः ऐसी दशा में मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र शर्तों के अधीन स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **प्रमोद कुमार गौड़** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र तदनुसार स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुबलिग **1,00,000/-**(एक लाख रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो जमानतें सम्बन्धित मजिस्ट्रेट/ न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल किये जाने एवं निम्न शर्तों के अधीन अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है।

1. आवेदक/अभियुक्त विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा तथा प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा अथवा किसी अपरिहार्य परिस्थिति में जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

2. आवेदक/अभियुक्त किसी साक्षी को प्रलोभित व प्रकोपित नहीं करेगा तथा गवाह आने पर बिना किसी स्थगन प्रतिपरीक्षा पूर्ण करेगा।

3. आवेदक/अभियुक्त जब भी अपना अस्थाई व स्थाई पता परिवर्तित करेगा तो इसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय को देगा।

4. आवेदक/अभियुक्त किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त नहीं होगा तथा न्यायालय की अनुमति के बगैर देश छोड़कर विदेश नहीं जायेगा।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन किये जाने की दशा में अभियोजन पक्ष जमानत निरस्त कराने के लिए स्वतंत्र होगा।

दिनांक-23.03.2026

(कमला पति-I)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
आजमगढ़।